

323



विलोपित विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 सिगरानी / 2018 / भू-रा0 / छतरपुर

सिगरानी- 5628/2018/छतरपुर/भू.रा

हजारी तनय ग्यासी काछी
निवासी - ग्राम इमलिया, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- आवेदक

विरुद्ध

2-म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर

जिला छतरपुर, म0प्र0

--- अनावेदक

श्री. राजनी वशिष्ठ शर्मा
आज दि 30/8/18 को 22500 का
प्रस्तुत! प्राथमिक तर्क हेतु
दिनांक 29/8/18 नियत।

कलेक्टर ऑफ कोर्ट 30-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R.V.S.
30/8/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.05.1999 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27 / स्व0प्र0 निगरानी / 98-99 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, आवेदक ग्राम इमलिया की भूमि खसरा नम्बर 1701 रकवा 2.000 है। भूमि पर 08.10.1984 से पूर्व से खेती कर आज दिनांक तक काबिज है। आवेदक ने तहसीलदार नौगांव के न्यायालय में उक्त भूमि के भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार नौगांव ने विधिवत् पटवारी से प्रतिवेदन मंगाकर तथा पंचनामा आदि देखकर यह पाया कि आवेदक का उक्त भूमि पर 08.10.1984 से पूर्व का कब्जा है तथा

जिला महाशिवकुमार राजस्व मण्डल
400 06

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5628/2018/छतरपुर/भू.रा.

हजारी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27/स्व.निग./1998-99 में पारित आदेश दिनांक 24-05-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p>	<p>(आर के जैन) सदस्य 01.2.2019</p>